फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री नंदलाल **विपक्षी : श्री राज्य**

किस्म मुकदमा –88 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 173/21**

जीसीएमएस : 2021/347

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 14.05.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण एवं राजपैरोकार उपस्थित। अधिवक्ता वादीगण एवं राजपैरोकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीगण एवं राजपैरोकार की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर अपनी माता की सम्पति में घोषणा चाही गई थी। वादीगण द्वारा दावा प्रस्तुत करने से पूर्व ही वादीगण की माता जीवी पिता कन्ना फौत हो चुकी थी। जिसका वर्णन वादीगण द्वारा अपने वाद में किया गया हैं। वादीगण द्वारा घोषणा हेतु वाद इस न्यायालय में पेश कर दिया गया है जबकि वादीगण को विरासत के नामान्तरकरण हेतु सक्षम न्यायालय तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था परन्तु वादीगण द्वारा ऐसा नहीं किया गया। वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण घोषणा का नहीं होकर विरासत के नामान्तरकरण का हैं जिसको सुनने का अधिकार न्यायालय हाजा को नहीं हैं। प्रकरण में तहसीलदार घासा को धारा 135(2) के तहत् प्रकरण दर्ज कर सुनने का अधिकार हैं। अतः उपरोक्त विवचेन के आधार पर तहसीलदार मावली को निर्देशित किया जाता है कि धारा 135 (2) के तहत् प्रकरण दर्ज कर हितबद्ध पक्षकारान को विधिवत् सुनवाई का अवसर देते हुए नियमानुसार निर्णय 3 माह में पारित कर निर्णय की प्रति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। जरिये अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुचित किया जाता है कि न्यायालय तहसीलदार घासा में दिनांक 26.06.2025 को उपस्थित रहे। वाद पत्र की प्रमाणित प्रति तहसीलदार घासा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:40:34 IST
Reason: SelfAttested